

Handwritten notes in the top left corner, possibly indicating a file number or date.

राजस्थान सरकार

अध्यापक आयोग, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफए (23)लेखा/आकाशि/अनु./2005-06/42

दिनांक 4-7-05

मुख्य सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषय- निजी विश्वविद्यालयों को प्रदाई जानेवाले प्रमाण-पत्र जारी करने काट ।

महोदय

आप सौजन्य महिला महाविद्यालय, निटेडा (बहरोडा) अलाइन्स वर्ग 2001-02 में आदेश क्रमांक ए.1(22)शिक्षा-4/2001 दिनांक 1.8.2001 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अब अनावधिक सत्र 2005-06 से पूर्व में संघालिता संस्थाओं/विषयों में रखाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र विन्यासित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है -

1. संघालित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्ययन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताप्राप्ति आयोग/आयुक्त तथा निर्धारित मानकानुसार आर्थिक सहायता की निवृत्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करने होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एम्प्लोयड शर्तों संयुक्त शर्तों में जारी करानी होगी ।
4. राज्य द्वारा अद्यतन हेतु मूलभूत आधुनिक सुविधाएँ (Infrastructural facilities) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / अध्यापक, कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की संश्लेषित शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी, शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को अह्वित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।
8. संस्था को आचारनिक स्टैण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार अध्यापक आयोग के निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आगके दो वर्ष की अवधि में NAAC से प्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा ।

अध्यापक
(एन.एस.आर.)
अध्यापक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे) परानुक्रमिकी महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव माओ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव अनुसंधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी कलेक्टर, अलाइन्स
8. अध्यापक/सचिव/माओ सौजन्य महिला महाविद्यालय, निटेडा (बहरोडा) अलाइन्स
9. निजी सचिव, अध्यापक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. अध्यापक सचिव, अध्यापक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।